राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 771/2011/भीलवाडा
मैसर्स कुमावत कान्ट्रेक्टर
भीलवाडा
अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग,भीलवाडा
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स एवं लीजिंग टैक्स,भीलवाडा
प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक
अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.एस.राठौड
उप राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 20.02.2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर,भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या163/आरएसटी/09–10 में निर्णय दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद रू. 1051139/–की बतलाई है जबकि वाणिज्यिक कर अधिकारी,वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29(7)के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.09.2008 को पारित करते समय अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद रू. 42,84,987/–मानकर करारोपण किया है,जिसमें रू.7,13,924/–का अधिक का करारोपण मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के अपील प्रस्तत कर विवादित करने पर, उन्होंने प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत ही गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथनं किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 19.09.2008 पारित करते समय अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद को मनमाने ढंग बढाकर अतिरिक्त कर रू. 7,13,924/–आरोपित किया है,जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने अपंजीकृत व्यवसायियों से खरीद रू. 4284987/–की है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने मनमाने ढंग मय परिवहन व लाभांश मद जोडते हुए अन्तर कर आरोपित किया है, जो अविधिक है। उन्होंने अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को

दोहराते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, कर निर्धारण. अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी सिविल वर्क का ठेकेदार है तथा उसके द्वारा सिविल वर्क से सम्बन्धित हिसाबी लेखा पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश की गई हैं। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवसायियों से क्रय किये गये सामान का विधिवत रूप से लेखों में दर्ज करना बताया है, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवसायियों की गई राशि को बढाकर कर आरोपित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने राशि को बढाने का कोई ठोस आधार अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में कर योग्य विक्रय को बढाकर निर्धारण करना त्रुटिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बिन्दु उठाया है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही दिया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से करारोपण किया है,जो अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत विवेचन किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है, जिसको उचित नहीं कहा जा सकता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि अपंजीकृत व्यवसायियों से की गई खरीद को बढाने का तार्किक एवं ठोस आधार आदेश में अंकित करें तथा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः आदेश पारित करें। फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य